RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 30 जून, 2014 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 11, अंक : 1

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

जून 2014 का महीना बेपनाह गर्मी लिए हुए है। बारिश का चारों तरफ कोई आसार नहीं है इस कारण देश के सभी लोग गर्मी से बहुत परेशान हो रहे हैं। इसी कारण आलू भी परेशान हो रहा है। आलू की बिक्री कम है और आलू के रेट बढ़ नहीं पा रहे हैं। वर्षा शुरू होते ही आलू खाने का स्वाद बढ़ता जायेगा और आशा की जाती है कि आलू की माँग भी बढ़ेगी।

श्री आशीष गुरू, अध्यक्ष, गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, आगरा मीटिंग में सदस्यों को सम्बोधित करते हुए

हासन के आलू की अभी सही रिर्पोट हमें नहीं मिल पाई है परन्तु अपुष्ट समाचारों से यह पता चला है कि हासन की फसल ज्यादा अच्छी नहीं है। फिर भी यह सारी बातें इस बात पर आधारित है कि वहाँ पर कितना पानी गिरता है। यदि वर्षा ज्यादा हो जाती है तो भी उत्पादन काफी घट जाता है।

ट्रकों के बढ़े किराये भी हासन के आलू को आगे बढ़ने से रोकते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में हासन का आलू कोई विशेष चिन्ता का विषय नहीं है। केवल देखना यह है कि आलू के प्रति सरकार की नीति क्या होती है। अभी तो सरकार ने आलू के बढ़ते हुए भाव को रोकने के लिए आलू निर्यात के लिए आलू के

रेट बढ़ा दिये हैं। इससे आलू निर्यातकों को बड़ा झटका लगा है। भविष्य के लिए भी आलू निर्यातक की हिम्मत कमजोर होती है। इस समय के लिए भी आलू निर्यातक को अपने वायदे पूरे करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हमें आशा है कि सरकार आलू निर्यातकों की इस समस्या पर जरूर विचार करेगी।

आगरा की मीटिंग के सम्बन्ध में :

दिनांक 15/16 जून, 2014 को आगरा मे फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया और कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की मीटिंग का आयोजन किया गया था। यह आयोजन आगरा कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन की ओर से किया गया जो कि बहुत ही सफलतापूवर्क था। हम आगरा कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन को उनकी इस सफलता पर बधाई देते है। डॉ. सिंघल, श्री राजेश गोयल व उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र है। हमें आशा है कि भविष्य में भी वह इस तरह की सफलता अर्जित करते रहेंगे।

इस मीटिंग का आयोजन जे.पी. पैलेस होटल मे दिनांक 15 व 16 जून, 2014 को किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. संजीव बालियान, कृषि राज्य मंत्री, भारत सरकार, उपस्थित रहे, अन्य विशिष्ठ अतिथियों में कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मनोज पांडे, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश रामसकल गुर्जर, श्री अमृत त्रिपाठी, विशेष सचिव, उद्यान, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री एस.पी. जोशी, निदेशक, उद्यान, श्री धर्मेन्द्र नाथ पांडे, उपनिदेशक आलू, रहे। वरिष्ठ अधिकारियों में श्री संजीव चोपड़ा, सयुक्त सचिव, श्री पवनऐक्स कोहली, CEO, National Center for Cold Chain Development (NCCD)। विभिन्न प्रदेशों के शीतगृह एसोसिएशन के अध्यक्ष जो उपस्थित रहे वह निम्न प्रकार है :

श्री आशीष गुरू, अध्यक्ष, गुजरात, श्री गुब्बा नगेन्द्र राव, आन्ध्र प्रदेश, श्री एस.एन. अशरफ, बिहार, श्री श्याम पंसारी, उड़ीसा, श्री हसमुख जैन गांधी, सचिव, मध्य प्रदेश, श्री रामपदा पाल, पश्चिमी बंगाल, श्री मुकेश अग्रवाल, सचिव, दिल्ली, श्री निर्मल पटनी, राजस्थान। इसके अतिरिक्त श्री पतित पाबन डे व श्री गोबिन्द कजरिया भी पश्चिमी बंगाल की ओर से मीटिंग में आए।

इस मीटिंग का सबसे लाभदायक बिन्दु यह रहा कि सम्बन्धित अधिकारियों ने शीतगृह सम्बन्धी सरकारी योजनाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला और यह आश्वासन दिया कि शीतगृहस्वामी कभी भी अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में उनसे मिल सकते है परन्तु ज्यादा अच्छा होगा कि वह एसोसिएशन के माध्यम से आये, जिससे कि किसी भी समस्या पर सामूहिक विचार हो सके। इसी प्रकार माननीय मंत्रियों ने भी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को उनसे मिलने की खुली छूट दे दी।

आगरा की मीटिंग के सम्बन्ध में

कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश माननीय मनोज पाण्डे साथ में श्री राजेश गोयल प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए

माननीय डॉ. संजीव बालियान, कृषि राज्य मंत्री, भारत सरकार शीतगृह एसोसिएशन के सदस्यों के साथ

श्री राकेश गर्ग, श्री राजेश गोयल, कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश माननीय मनोज पाण्डे को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए

श्री राजेश गोयल, सांसद माननीय रमाशंकर कठेरिया, माननीय डॉ. संजीव बालियान, कृषि राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री राकेश गर्ग, श्री महेन्द्र स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए

(4) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, जून, 2014

शीतगृहों की समस्याएँ व उनके समाधान के लिए किए जाने वाले प्रयत्न :

जैसा कि हमारे सब सदस्य जानते होंगे कि इस समय शीतगृहों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनके समाधान के लिए एसोसिएशन के पदाधिकारी कार्यरत है। इसी कारण आगरा की मीटिंग में सम्बन्धित वरिष्ठतम अधिकारियों के साथ सम्बन्धित माननीय मंत्रियों को भी आमन्त्रित किया गया और उनके सामने समस्याओं के ज्ञापन प्रस्तुत किए गए। यद्यपि इन ज्ञापनों पर सम्बन्धित मंत्रियों ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया परन्तु इसके बावजूद पदाधिकारियों की टीम हर विषय के समाधान के लिए सम्बन्धित मंत्रियों और अधिकारियों से मिल रहे है और सम्पर्क बनाए हुए हैं। हमारे द्वारा दिए गए ज्ञापन इस प्रकार है –

414 / सी.एस.ए.27 / 42 / 2014 दिनाक 7.6.2014

माननीय डॉ. संजीव बालियान,
कृषि राज्य मत्री, भारत सरकार,
कृषि भवन, नई दिल्ली

विषय : शीतगृहों की समस्याओं से सम्बन्धित

मान्यवर,

आपके संज्ञान में शीतगृहों से सम्बन्धित कुछ समस्याओं को लाना है जिनके कारण शीतगृह उद्योग काफी परेशानी की हालत से गुजर रहा है।

1. **फूड सेफ्टी एक्ट :** शीतगृहों पर फूड सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया है। शीतगृह उद्योग इस असमंजस में है कि शीतगृहों को फूड सेफ्टी एक्ट में क्यों शामिल किया गया है और इससे सरकार का क्या अर्थ निकलता है क्योंकि शीतगृह तो मात्र भण्डारण का कार्य करते है और भण्डारित पदार्थ भी किसी अन्य भण्डारणकर्ता का होता है। अतः शीतगृहों को फूड सेफ्टी एक्ट में लाने का मतलब केवल लालफीता शाही को और मजबूत करने के इलावा कुछ भी नहीं है।

   फूड सेफ्टी एक्ट में फूड बिजनेस पर जोर दिया है। शीतगृह भण्डारण के अलावा कोई फूड बिजनेस नहीं करते। यह भण्डारण भी आलू जैसी सब्जी को सुरक्षित रखने के लिए होता है, वह भी भण्डारणकर्ता के अनुरोध पर।

2. **नए अग्नि शमन नियम :** शीतगृहों पर नए अग्नि शमन नियम लगाए जा रहे है जबकि प्रत्येक शीतगृह पुराने अग्नि शमन नियमों का पालन कर रहे हैं। नए नियमों में कुछ नियम ऐसे हैं जिनका इन नियमों से पहले बने हुए शीतगृहों द्वारा पालन कर पाना प्रायः असम्भव है, जैसे शीतगृह के कक्ष के बाहर सीड़ी और दरवाजे का निर्माण, 100,000 लीटर का वाटर टैंक, 20,000 लीटर का टैरेस टैंक आदि और शीतगृहों के चारों ओर बीस फुट चौड़ी सड़क। पुराने शीतगृहों पर तो इतनी जगह

भी नहीं है जो सड़क व वाटर टैंक बनवा सकें और न ही उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है जिससे वह इन नियमों का पालन कर सकें।

अतः अनुरोध है कि नए नियम, नए शीतगृहों पर ही लागू किए जाए न कि नियमों से पहले आए शीतगृहों पर।

3. **सौर ऊर्जा :** सौर ऊर्जा के प्रयोग से शीतगृह बिजली की परेशानियों व डीजल की बढ़ती कीमत से अपने को बचा सकते हैं। इस समय तो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना काफी महँगा है। यदि सरकार संयंत्र लगाने पर 80–90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे दें तो सारे देश मे शीतगृह क्षेत्र में एक नई क्रांति आ जायेगी।

4. देश में चावल एवं गेहू के बाद आलू तीसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है परन्तु इस उत्पाद के विकास के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अगर टी एवं काफी बोर्ड की तरह पोटेटो बोर्ड गठित कर दिया जाये तो आलू किसानों को उनके उत्पादों का समुचित मूल्य मिलेगा जिससे वह ज्यादा विश्वास से इस फसल की तरफ ध्यान लगायेंगे। बोर्ड के गठन से आलू की गुणवत्ता में भी सुधार होगा एवं देश से आलू का निर्यात बढ़ेगा।

5. आगरा व अलीगढ़ मण्डल देश के सबसे बड़े आलू उत्पाद क्षेत्र हैं (देश के कुल उत्पाद का लगभग 25 प्रतिशत), अतः CPRI का एक केन्द्र इस क्षेत्र में स्थापित कर दिया जाये तो यहाँ की मिट्टी एवं जलवायु के अनुरूप उत्तम किस्म के बीज विकसित किए जा सकेंगे जिससे गुणवत्ता एवं उत्पादन मे वृद्धि होगी

6. आलू के निर्यात में प्रमुख बाधा उन्नत किस्म के बीज का अभाव है। विदेश (विशेष तौर पर हॉलैण्ड) में इस दिशा में बहुत कार्य हो रहे हैं, कई निर्यातक देश हॉलैण्ड से बीज लेकर विदेशों को आलू का निर्यात कर रहे हैं।

   अगर देश में उन्नत किस्म के बीज का आयात खोल दिया जाए तो निकट भविष्य में अच्छी किस्म के बीज का उत्पादन अपने देश में भी प्रारम्भ हो जायेगा एवं अच्छे आलू के उत्पादन से निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

7. केन्द्र द्वारा शीतगृहों के लगाने पर सब्सिडी देना एक सराहनीय कदम है, परन्तु सब्सिडी देते समय यह बात अवश्य ध्यान देनी चाहिए कि उस क्षेत्र का कृषि उत्पाद कितना है और वहाँ पर कितनी भण्डारण क्षमता बनी हुई है। अधिक भण्डारण क्षमता हो जाने पर शीतगृहों की आपस में बहुत प्रतिस्पर्धा हो जाती है और इस कारण वह अपना बैंक से लिया हुआ लोन नहीं चुका पाते। अतः ऐसी सब्सिडी से कोई फायदा नहीं होता वरन् हानि ही होती है।

8. पुराने शीतगृहों को नई तकनीक लाने के लिए, जैसे पुराने इन्सूलेशन को बदलना, नई मशीनरी लाना आदि पर समुचित सब्सिडी दिया जाना अत्यन्त आवश्यक होता है। ऐसे पुराने शीतगृह घाटे में चलते जा रहे हैं और बन्द होते जा रहे हैं।

9. देश में उत्पादन एवं भण्डारित आलू के सही–सही जानकारी न मिलने की वजह से आलू के भाव में उतार–चढ़ाव होता रहता है जिसका नुकसान किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों को होता है। अगर देश में उत्पादन एवं भण्डारित आलू के समय–समय पर सही आंकड़े वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध रहे तो आलू के भावों में अनावश्यक उतार–चढ़ाव से बचा जा सकता है।
10. सरकार को ऐसी सुविधाएँ एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करना चाहिए जिससे आलू का निर्यात निर्बाध रूप से बढ़े।

414 / सीं.एस.ए.27 / 43 / 2014 दिनाक 11.6.2014

माननीय कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ : उत्तर प्रदेश

विषय : शीतगृहों की समस्याओं से सम्बन्धित

मान्यवर,

हम आपके संज्ञान में शीतगृहों की समस्याओं को लाना चाह रहे हैं जिससे कि शीतगृहों का कुछ उद्धार हो सके।

इस समय उत्तर प्रदेश में शीतगृह उद्योग काफी परेशानी की हालत से गुजर रहा है। अनेक शीतगृह बन्द होते जा रहे हैं और अनेक बन्द होने की तैयारी में हैं।

हमारी परेशानी के कुछ मुख्य बिन्दु इस प्रकार है :–

1. उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976

उत्तर प्रदेश के सारे शीतगृह इस अधिनियम के अन्तर्गत शासित होते हैं। यह अधिनियम चालीस साल पुराना हो चुका है और अब इसकी अनेक धाराएँ व्यावहारिक नहीं रह गई है। हमारे इस विचार को आलू विकास नीति 2013 में भी समायोजित किया गया है।

हमारा अनुरोध है कि इस अधिनियम पर सरकार व उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच में वार्ता करके एक सही हल निकाला जाए जिससे कि अधिनियम उद्योग की प्रगति में सहायक हो, न की वह बाधक बने।

2. शीतगृहों को अपर्याप्त व सबसे महँगी बिजली :

अनेक जनपदों को तो दिन में आठ घंटे से दस घंटे बिजली आपूर्ति नहीं होती वह भी काफी समय कम वोल्टेज पर होती है और रुक–रुक कर होती है। शीतगृहों का तापमान बनाए रखने के लिए शीतगृहों को जेनरेटर चलाने पड़ते हैं जिससे बिजली उत्पादन खर्च बहुत अधिक आता है।

भविष्य में आने वाले नए टैरिफ में तो शीतगृह के कार्य संचालन के समय 15 प्रतिशत की बढ़ी

बिजली की दरों की सिफारिश की गई है। इस प्रकार शीतगृहों का बिजली खर्च और अधिक बढ़ जायेगा। इसके अतिरिक्त डीजल की बढ़ी हुई दरों का भार तो पड़ेगा ही।

आपसे अनुरोध है कि शीतगृहों को कृषि आधारित उद्योग मानकर कृषि पर लगने वाली बिजली दरें ही लगाने का आदेश पारित करें। इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र प्रदेश ने इस प्रकार का कदम उठाया है और शीतगृहों को कृषि आधारित बिजली के रेट लग रहे है। अन्य प्रदेशों ने भी अनके प्रकार की छूट शीतगृहों को प्रदान की हुई है।

3. प्रदूषण :

शीतगृह किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करते है। अतः शीतगृहों को प्रदूषण नियमों से मुक्त किया जाना चाहिए।

इस समय शीतगृह पिछले 6/7 वर्षों से लाईसेन्स फीस व अन्य सरचार्ज देकर ही नियमों के पालन की पूर्ति करते चले आ रहे हैं।

अतः शीतगृहों को प्रदूषण एक्ट से मुक्त कर लाल फीताशाही से मुक्ति अवश्य दिलवाई जाये ऐसा हमारा अनुरोध है।

4. शीतगृहों पर हाउस/प्रापर्टी टैक्स

शीतगृह सामान्य व्यापारिक संस्थान नहीं होते। अतः इन पर हाउस/प्रापर्टी टैक्स की अलग श्रेणी निर्धारित की जानी चाहिए और टैक्स पर भारी छूट दी जानी चाहिए। इस समय का टैक्स स्ट्रक्चर शीतगृहों की कमर तोड़ दे रहा है। यह एक बहुत बड़ा कारण है जिसके रहते शहरों के शीतगृह तेजी से बन्द होते जा रहे हैं।

सधन्यवाद,

कृते कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(महेन्द्र स्वरूप)

अध्यक्ष

FOR SALE

NANPARA COLD STORAGE & ALLIED INDUSTRIES, BAHRAICH ROAD, NANPARA PIN 271865
18 kms. FROM NEPAL BORDER - ON ROAD

- LICENSED CAPACITY 96000 QUINTAL
- STORAGE CAPACITY 85000 QUINTAL
- LAND : 1 LAKH SQUARE FEET WITH BOUNDARY
- BUNKER COIL SYSTEM – RCC CONSTRUCTION
- KC6/KC4/MX-200 COMPRESSORS ONE EACH

CONTACT : **SHRI ADESH AGARWAL,** MOBILE : 9415121654/9936854123

आलू की स्थिति के बारे में :

रतन कोल्ड स्टोरेज, फर्रूखाबाद ने हमें सूचित किया है कि फर्रूखाबाद क्षेत्र में 12 से 14 प्रतिशत आलू की निकासी हो गई है। आलू के रेट 1300 से 1400 रू प्रति कुन्तल चल रहे हैं जो कि तैयार ट्रक लोड के हैं। कन्नौज में निकासी 14 प्रतिशत हो चुकी है और आलू के रेट भी फर्रूखाबाद की तरह है। वैसे जी.टी. रोड पर निकासी 15 प्रतिशत है और रेट भी उसी प्रकार चल रहे हैं। इस प्रकार आलू की निकासी सन्तोषजनक है, यदि हम पिछले वर्ष की इसी समय की निकासी को देखें।

श्री मोहित अग्रवाल, शिवांग कोल्ड स्टोरेज, सासनी, हाथरस ने हमें आलू के भाव व निकासी के बारे में विस्तार से सूचना भेजी है। यह सूचना हम उनके ही शब्दों में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

''अलीगढ़ व हाथरस जिले में निकासी 11 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक है। रेट 06/06/2014 से थोड़े सुधरे हैं और आज की तारीख में रु. 1450/– से रु. 1550/– प्रति कुन्टल बिक रहा है।

निकासी अच्छी है और किसान भी बिकवाल है। अलग–अलग जिलों की निकासी निम्न प्रकार है :–

क्र.	जिला	निकासी	क्र.	जिला	निकासी
1.	अलीगढ़	11 से 13 प्रतिशत	12.	बदायूँ	8 से 10 प्रतिशत
2.	आगरा	15 से 17 प्रतिशत	13.	बरेली	8 प्रतिशत
3.	सहारनपुर	10 से 12 प्रतिशत	14.	पीलीभीत	7 प्रतिशत
4.	मुजफ्फरनगर	7 से 9 प्रतिशत	15.	फर्रूखाबाद	8 से 10 प्रतिशत
5.	मेरठ	5 से 7 प्रतिशत	16.	झाँसी	5 से 7 प्रतिशत
6.	गाजियाबाद	7 प्रतिशत	17.	बाँदा	5 प्रतिशत
7.	बुलन्दशहर	5 से 10 प्रतिशत	18.	कानपुर	10 प्रतिशत
8.	हाथरस	11 से 13 प्रतिशत	19.	उन्नाव	10 प्रतिशत
9.	मैनपुरी	10 प्रतिशत	20.	हापुड़	10 प्रतिशत
10.	फिरोजाबाद	10 प्रतिशत	21.	कन्नौज	10 प्रतिशत''
11.	एटा	8 से 10 प्रतिशत			

शीतगृहों पर सब्सिडी के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी :

श्री आर.के. जैन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 15 नेहरू नगर, आगरा मोबाइल फोन 09319206633, 08979206633 ने आगरा में फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया की मीटिंग जो

कि दिनांक 15.6.2014 को आयोजित की गई थी होटल जे.पी. पैलैस में अपना निम्न भाषण दिया था। श्री जैन बहुत ही जानकार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट है और शीतगृह सम्बन्धी आपकी जानकारी और भी अधिक है। आपके द्वारा दिए गए भाषण को हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे है। हमें आशा है कि शीतगृहस्वामियों को इससे बहुत लाभ पहुँचेगा :

Presentation of

C.A. R.K. JAIN

Delivered on 15, June 2014 at Hotel Jay Pee Palace Agra

सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये कई योजनाएँ है। जिनकी जानकारी के अभाव में उद्यमी उसका पूरा लाभ नही ले पाते है। मैं आज कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

Scheme of NHB/NHM/MIDH (With Effect from 1st April 2014)

आलू के कोल्ड स्टोरेज पर लागत पर प्रति मैट्रिक टन छः हजार से बढ़ाकर आठ हजार रूपये कर दी गयी है तथा सब्सिडी का रेट 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दी गई है। पहले 5000 मैट्रिक टन Capacity तक सब्सिडी दी जाती थी। अब 10000 मैट्रिक टन के कोल्ड पर सब्सिडी दी जायेगी। एक और बदलाव नियमों में किया गया है कि जैसे ही स्वीकृत टर्म लोन का 50 प्रतिशत धनराशि रिलीज हो जायेगी हम पूरी सब्सिडी क्लेम कर सकते है। कोल्ड स्टोरेज पूरा बनने का इन्तजार नहीं करना है। 5000 मैट्रिक टन तक की Capacity के कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी एन0एच0एम0 देगा। और इससे बड़े कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी हमको एन0एच0बी0 से क्लेम करनी पड़ेगी। नई स्कीम में कोल्ड स्टोरेज तीन प्रकार में बाँटा गया है।

Small Farmer Agri Business Consortium (SFAC)

यह कृषि मंत्रालय का विभाग हैं। जो बिना ब्याज की धनराशि सब्सिडी के अलावा कृषि पर आधारित उद्योगों पर उपलब्ध कराता है। यह उद्यमी की पूँजी का 26 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख मिलती है। यह धनराशि बिना किसी ब्याज के मिलती है। और जितने दिन तक टर्म लोन चलता है। उतने दिन तक बिना ब्याज के रहती है। यह टर्म लोन की अन्तिम किस्त के साथ चुकानी होती है।

इस योजना के अन्तर्गत लगभग सभी कृषि आधारित उद्योग जैसे : कोल्ड स्टोरेज, राइज मिल, फ्लोर मिल, राइपिनिंग चेम्बर, मशरूम, ऑयल मिल, इत्यादि। हाल में ही मिल्क पर आधारित उद्योगों को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है। इस योजना का लाभ 5 करोड़ तक के सभी उद्योग उठा सकते है। यदि आपका उद्योग Back Ward District या Hilly Area में है तो अधिकतम Project लागत 10 करोड़ की हो सकती है।

मैं यह फिर बताना चाहता हूँ इस योजना की जानकारी ज्यादातर उद्यमियों को नहीं है और इस

योजना का लाभ 10 प्रतिशत से ज्यादा उद्योग नहीं उठा पाते है। यह धनराशि अनुदान के अलावा मिलती है और पूर्णतः ब्याज मुक्त होती है।

Integrated Scheme for Agriculture Marketing (ISAM)

यह एक बहुत अच्छी स्कीम कृषि मंत्रालय की है। जिसमें 1 अप्रैल 2014 से संशोधन हुआ है। इस स्कीम के अन्तर्गत यदि आप कोई गोदाम का निर्माण करवाते है, तो आपको 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। यदि आप यह गोदाम महिला के नाम से बनाते है तो आपको 33.33 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। इस स्कीम का एक बहुत ही उपयोगी पहलू है। जिसमें बताया गया कि यदि किसी भी कृषि उत्पात की हम washing. Sorting, cleaning, grading, waxing, ripening, packing, labelling, Chilling, (Without Changing its Form) करते है। तो आपको कुल लागत पर उपरोक्त दर के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। इस स्कीम के अन्तर्गत अधिकतम सब्सिडी महिलाओं व पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लिये 5 करोड़ व अन्य लोगों के लिये अधिकतम सब्सिडी सीमा 4 करोड़ है। इस योजना में Milk Chilling Plants इत्यादि प्रोजेक्ट व अन्य बहुत से उद्योग आयेंगे।

Scheme of MOFPI

Ministry of Food Processing द्वारा बहुत ही आकर्षित योजनाएँ हैं।

(A) 25% Subsidy for Establishment/ up gradation/Expansion of various Food Processing Industries (Maximum 50 Lacs) (लगभग सभी खाद्य इकाइयाँ इसका लाभ ले सकते हैं)

(B) यदि आप कोई Reefer Van क्रय करते है। तो 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 50 लाख रूपये मिलता है।

इसमें यदि आप Horticulture Produce Transport करते है। तो अनुदान के अलावा आपको बिना ब्याज की धनराशि का लाभ भी मिलेगा।

(C) यदि आप Non Horticulture Produce (Dairy, Meat, etc) का कोल्ड चैन बनाते है। तो आपको 35 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 5 करोड़ मिलेगा। इसके साथ–साथ 6 प्रतिशत ब्याज में अनुदान अधिकतम 2 करोड़ मिलेगा।

(D) यदि आप Horticulture / Non Horticulture Produce का Primary Processing Center बनाते है। तो आपको 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 2.5 करोड़ मिलेगा। इस योजना के अन्तर्गत Fruits, Vegetables, Dairy Product, Grains, Pulses, Meat, Poultry etc के Projects आते है। इस स्कीम में Frozen Peas Plant (IQF) व Dry ware house with sorting /Grading facilities जैसे Projects भी आयेंगे।

कुछ योजनायें राज्य सरकारों की है। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनायें निम्नलिखित है।

1. Cold Storage or Food Processing Industries लगाने के लिये जमीन खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट। (शर्ते लागू)
2. भू उपयोग परिवर्तन करवाने में छूट। (शर्ते लागू)
3. योजनान्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाती नई खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को बैंको/वित्तीय संस्थानों से प्लाण्ट, मशीनरी एवं स्पेयर पार्टस हेतु वितरित सावधि ऋण (टर्म लोन) पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 7 प्रतिशत की दर से उस वर्ष में भुगतान किये गये। ब्याज की धनराशि अथवा अधिकतम रू0 50 लाख, जो भी कम हो, प्रति इकाई प्रति वर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक देय होगी।
4. मण्डी शुल्क, बिजली व अन्य छूट।

Ministry of MSME

MSME द्वारा लगभग सभी उद्योग लगाने पर या फिर Expansion / Up Gradation करने पर Plants & Machinery की लागत का 15 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रू0 15 लाख CLC के अन्तर्गत दिया जाता है। यह लगभग सभी लघु उद्योग के लिये उपलब्ध है। और अन्त में एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। यदि हम कोई रू0 3 करोड़ का Fruits, Vegetables Processing Unit लगाते है तो हमें क्या–क्या छूट मिलेगी।

- ❑ जमीन खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट। (शर्ते लागू)
- ❑ भू उपयोग परिर्वन में छूट। (शर्ते लागू)
- ❑ Capital Subsidy on Building / Plant & Machinery (As Per Applicable Scheme)
- ❑ Interest Free Venture Capital Fund from SFAC (in Addtion to Above)
- ❑ Interest Subsidy on Term Loan of Plant & Machinery (in Addtion to Above) & Relaxation in mandi fee / Electricity Surcharge/others.

मेरा सभी उद्यमियों से निवेदन है कि सभी योजनाओं का भरपूर लाभ लें।

धन्यवाद

जय हिन्द

प्रदूषण सम्बन्धी :

वर्ष 2012 में उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक कार्यालय–ज्ञाप (Office Order) जारी किया था जो अब हमें मिला है। इसे हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पिकप भवन, तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संख्या : एफ–11705 / सी–3 / विविध–73 / निवेश मित्र / 09–12 दिनांक 15–10–12

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश सरकार की अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 के क्रम संख्या 3.1.3–4 में यह प्राविधान किया गया है कि 'प्रदूषण विहीन इकाइयों को केवल स्टैन्ड बाई व्यवस्था के रूप में जेनरेटर उपयोग करने की दश में 5 के.वी.ए. तक के जेनरेटर हेतु प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया से छूट अनुमन्य हैं। नई नीति के अन्तर्गत 5 के.वी.ए. से अधिक के जेनरेटर प्रयोग पर भी ऐसी इकाईयों को प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया से मुक्त रखा जायेगा।

उक्त के अनुपालन में एतद् द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि 'प्रदेश से सक्षम अधिकारी द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत घोषित संवेदनशील क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में स्थापित प्रदूषण विहीन इकाईयों में 5 के.वी.ए. की अधिक क्षमता के स्टैण्ड बाई व्यवस्था के रूप में जेनरेटर उपयोग करने की दशा में पृथक से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1974 यथासंशोधित एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 यथासंशोधित में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा परन्तु उक्त स्टैण्ड बाई व्यवस्था के रूप में स्थापित किये जाने वाले जेनरेटरों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित नियमों में किये गये प्राविधानों के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की जाएगी।'

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।

(वसीम अहमद खान)
अध्यक्ष

(जे.एस. यादव)
सदस्य सचिव (प्रभारी)

इस ज्ञाप के अनुसार शीतगृहों को 5 के.वी.ए. से अधिक के जेनरेटर के प्रयोग पर भी प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया से मुक्त रखा जायेगा। अतः अब शीतगृहों को प्रदूषण अनापत्ति पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

सदस्यों के प्रयास :

हमारे फेडरेशन के सदस्यगण देश के कृषि मंत्री, भारत सरकार माननीय राधा मोहन सिंह व माननीय सांसद प्रो. रामशंकर कठेरिया, केन्द्रीय कृषि मंत्री, माननीय राधा मोहन सिंह के साथ शीतगृहों की समस्याओं पर वार्ता करते हुए।

फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया का एक प्रतिनिधिमण्डल दिनांक 25 जून, 2014 बुधवार को माननीय सांसद प्रो. रामशंकर कठेरिया के नेतृत्व में दिल्ली के कृषि भवन में केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह व केन्द्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान से मिला। प्रतिनिधिमण्डल की पहले मुलाकात श्री राधा मोहन सिंह जी से हुई। मंत्री जी को एक प्रतिवेदन दिया गया जिसमें निम्न माँगें की गयी।

(1) शीतगृहों का फूड सेफ्टी एक्ट से मुक्त करना। (2) आगरा में सी.पी.आर.आई. का अनुसंधान केन्द्र स्थापित करना। (3) शीतगृहों को आधुनिकरण के लिये सब्सिडी दिलवाना। (4) आलू बीज का आयात खुलवाना। (5) आलू उत्पादन, स्टॉक व निकासी के सही आंकड़ों के लिये नोडल एजेन्सी नियुक्त करना।

मंत्री जी ने सभी बातों को ध्यान से सुनकर शीघ्र ही उचित कार्यवाही करने का वायदा किया और जल्द ही सभी सचिवों के साथ दिल्ली में बड़ी बैठक करने की सहमति प्रदान की। प्रतिनिधिमण्डल में फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया के सचिव, श्री राजेश गोयल, राष्ट्रीय संयोजक श्री भुवेश अग्रवाल, संयोजक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार श्री राकेश गर्ग, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उ.प्र. के उपाध्यक्ष, श्री अजय गुप्ता, दिल्ली से फेडरेशन के पदाधिकारी श्री मुकेश अग्रवाल शामिल रहे।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2014-16

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित